

पत्रावली तलबी अभियान में पेश
है। वकील वादी वादपत्र को Non
press में खारिज कथाना चाहते हैं।
अतः वाद इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैलना शुक्रा नं.
से कम की जाकर दाखिल दफ्तार है।

